



भिप.वि. खण्ड-प्रतापगढ़  
सम्बन्धित विद्युत उपसंस्थान का नाम .....  
सम्बन्धित उपखण्ड का नाम .....  
आवेदक की साइट की जांच की.....अखबारकित  
की भीट पानी उबने में सक्षम है तथा आवेदन के खिलाफ कोई चैकिंग/  
विजिलेंस की कार्य नहीं हुई है।

प्रकम्प धनराशि जमा रसीद संख्या .....  
दिनांक.....



## ४० अवर अधिकारी

### कोषाध्यक्ष,

उपधेक्षा के आग्रह पर सशर्त प्रार्थना पत्र स्वीकार  
कि विभाग में सामान उपलब्ध होने पर ही कार्यवाही होगी।  
कृपया 200/- रु. प्रकम्प धनराशि जमा करें।

अधि. अधिकारी

निजी नलकूप विधा के लिए  
अखबारकित  
प्रभार स्वीकृत किया जाता है।

सहा.अधि.(र.)/अधि.अधि.

## केवल नलकूपों के निमित्त विद्युत कनेक्शन के लिए

सेवा में,

## आवेदन-पत्र

### अधिकारी अधिकारी

- विद्युत वितरण खण्ड प्रयम/द्वितीय प्रतापगढ़  
प्रार्थी का नाम और पता ..... रुडार्टीलर पाल  
पिता/पति का नाम ..... ड्रार्ट्वाल्डीज़ माल  
ग्राम ..... ड्रार्ट्वाल्डा ..... पोस्ट डर्ही  
व्हाल ..... ड्रास्पुर देवसरा ..... दासुल  
2. विजली की शक्ति की मात्रा जिसके आवेदन पत्र दिया  
जा रहा है। साइट जहाँ कनेक्शन लेना चाहते हैं।  
3- प्रार्थी का एकड़ों में वह क्षेत्र जिसको नलकूप से सिंचाई की  
जायेगी। जमीन के दुष्टों का पूरा विवरण, उनका नाम,  
संख्या स्थिति आदि का पूरा विवरण दिया जाय।  
4- क्या उन क्षेत्र की सिंचाई किसी दूसरे स्थान पक्के कुरे  
आदि से की जा सकती है?  
5- अब तक उस क्षेत्र की सिंचाई किन साधनों से की जाती थी  
और अब उनसे आगे काम क्यों नहीं लिया जा सकता।  
6- क्या वह क्षेत्र अंशतः या पूर्णतः किसी राजकीय नलकूप या  
नहर द्वारा ऐसे जाने वाले क्षेत्र/कमाण्ड एवं पानी के अनुग्रह  
आता है।  
7- क्या नलकूप की ओरिंग की गई और पथ तथा मोटर लगा  
दिये हैं।  
8- प्रार्थी को क्षेत्र तथा निकटतम राजकीय नलकूप अधिकारी नहर  
के घोष की दूसी।  
9- नलकूप की स्थान से घिली के निकटतम खम्बे की दूरी  
यदि कोइँ नहीं।  
10- पाइप का व्यास, चलना (स्ट्रनर) की लम्बाई, ओरिंग (खुदाई)  
की गहराई, लोत की सतह पहले पानी फटने की सतह की  
गहराई और पानी निकलने का परिमाण प्रति घंट मैलों में।  
11- प्रकरण शुल्क जमा करने की रसीद संख्या व दिनांक  
12- एवेट का नम्बर जिसमें प्रार्थी को ओरिंग करवाया।

दिनांक.....

सिंहठ  
मार्गोंग (पा)

# खण्ड विकास अधिकारी का बोरिंग प्रमाण-पत्र संस्तुति

बाटा १८८८ ५२ में पूर्ण है।

(अ) प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन का बोरिंग कार्य क्षेत्र नं. अवश्य शक्ति प्रभार स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।  
 अतः ..... ३.४१ पर्याप्त है।  
 (ब) मेरे द्वारा साइट को जांच करवाई गई। बोरिंग पूर्णतः सफल है अतः विद्युत नलकूप कनेक्शन देने की संस्तुति की जाती है।  
 खण्ड विकास अधिकारी  
 न्यौदा, झज्जी रुमाला कोड ७१२० अगगन द्वीप पाल निवासी ग्राम  
 गाँधीजी गा. पा. ७१२० का इसी द्वीप पर्याप्त है। अस्ति हस्ताक्षर प्रतापगढ़  
 न्यौदा है। एवं विद्युत का उपयोग होने के लिए इसका आवश्यक समर्थन दिया जायेगा बी.डी.ओ. की मुहर सहित  
 अपेक्षा का जारी है। दिनांक १५/१२/१३

मेरा नाम ..... रमाशंकर ..... घोषणा करता हूँ कि

(१) मेरे ग्राम ..... माडिगांव ..... द्वारा ..... आसापुर देवसरा .....  
 डा. ..... निवासी ..... फट्टी

(२) मैं/हम अपने नाम निजी नलकूप का कनेक्शन ले रहा हूँ/हो है।

(३) यह है कि सह खातेदारों ने अपनी सहमति दे दी है यदि कोई याद-विवाद पाया गया तो उसके लिए मैं/हम स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।

(४) मैं/हम स्वेच्छापूर्वक प्रकरण शुल्क/प्रायोगिकता शुल्क जमा करने को तैयार हैं।

(५) यदि भी विभाग में सामान उपलब्ध होंगा तभी कनेक्शन दिया जायेगा जिसकी में प्रतीक्षा करूँगा कि सी भी प्रकार की मेरे द्वारा की गई कार्यवाची अवैध होगी।

(६)  मेरा/हमारा स्वयं का शापथ पत्र संलग्न है।

(७)  यह खातेदारों का शापथ पत्र संलग्न है।

(८)  फोटो प्रमाणित है।

(९)  खसरा, खत्तीनी संलग्न है।

(१०) विद्युत का पूर्व का ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है जिस पर विलम्बकाया हो या कोई विलीन से आदि की कार्यवाही चल रही हो अथवा स्थाई विच्छेदन कार्यवाही लम्बित हो।

(११) प्रार्थना पत्र सर्वतः स्वयं के आग्रह पर प्रस्तुत कर रहा है। समय-समय पर विभाग के जारी योजना आदेश प्रभावी होंगे, नियम एवं शर्तें जारी होने के बाद एक माह में अनुशन्धन करने पर प्रार्थना पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

(१२) मैं पूर्ण जमा योजना में कनेक्शन लेना चाहता हूँ।

प्रमाणित करता हूँ कि आवेदन ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।



पिठाम्ब  
लग्नाधिकारी (पंच)

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर.....

आवेदन का नाम ..... रमाशंकर पाल .....

(प्रधान/द्वारा प्रमुख/बी.डी.ओ. या अन्य किसी अधिकारी के हस्ताक्षर)

पिता का नाम ..... भगवान्नदीन पाल .....

नाम.....

पता.....

मुहर .....

पता..... माडिगांव ..... पो. ३१६  
 ..... पट्टी ..... जिला पट्टा पगड़ ..... ४५४७



# विद्युत वितरण खण्ड प्रतापगढ़

## उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत शक्ति के लघु और मध्यम उपभोक्ताओं/निजी नलकूपों के लिए

### अनुबन्ध पत्र/वचन पत्र

(सौ रुपये के स्टाम्प वाले कागज पर चिपकाया जायेगा)

1. मैं/हम एतद् द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत कारपोरेशन (जिसे एतद् पश्चात् 'प्रदायक' (सप्लायर) कहा गया है) से निम्नलिखित-भू- गृहादि पर अपने संस्थापन (इन्स्टालेशन) की ..... प्रक्रिया/प्रक्रिया के लिए संभरण का प्रारंभ होने के दिनांक से दो वर्ष की अन्यून अवधि के निमित्त..... अश्वशक्ति के अनाधिक विद्युत शक्ति लेने के लिए सहमत हूँ/हैं। उपर्युक्त दो वर्षों की अन्यून अवधि समाप्त होने के पश्चात् ऐसा वचन वर्षानुवर्ष, यहां निहित शर्तों के आधार पर तक जारी रखा गया समझा जायेगा, जब तक दोनों ओर से कम से कम 30 दिन के पूर्व लिखित सूचना देकर उसकी समाप्त न कर दिया गया हो। निभा०  
सम्झौता०
2. मैं/ हम एतद् द्वारा समय प्रचलित अथवा प्रदायक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित उपयुक्त सभारण के लिए कारपोरेशन द्वारा नियत दरों से अनुबन्धित अन्य परिव्ययों का भी भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/हैं। निभा०  
सम्झौता०
3. मैं/एतद् द्वारा प्रदायक के पास आवश्यक प्रतिभूति-धनराशि (सिक्योरिटी एमाउन्ट) के लिए सहमत हूँ/हैं और कोई भी अग्रेतर प्रतिभूति, जब कभी प्रदायक द्वारा मांगी जायेगी, जमा करने के लिए सहमत हूँ/हैं। निभा०  
सम्झौता०
4. मेरे हमारे, सम्बन्ध में प्रवृत्त टैरिफ के अनुसार यथानुबन्ध न्यूनतम प्रत्याभूमि (गारंड चार्ज) में जो भी कमी आदि होगी, वह वास्तविक उपभोग की कटौती करने के उपरांत जिसमें से वह छूट या सरचार्ज निकाल दिया जायेगा, जब बिल के दरी से/भुगतान के कारण, अदेय हो, भुगतान की जायेगी। निभा०  
सम्झौता०
5. मैं/हम, प्रदायक के स्टोर से कनेक्शन के स्थल तक स्वकीय अपनी लागत पर माल समाप्त करने के लिये वचनबद्ध होता हूँ/होते हैं/वचनबद्ध नहीं होता हूँ/वचन बद्ध नहीं होते हैं। निभा०  
सम्झौता०
6. मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस समय प्रवृत्त सम्भरण की दरों और शतों को मैंने/हमने पढ़ लिया है। हम, एतद् द्वारा अग्रेतर अनुबन्ध करता हूँ/करते हैं कि इस समय प्रवृत्त सम्भरण की शतों को पालन करूंगा/करंगे तथा उसमें होने वाले पश्चात् यती परिष्कारों अथवा परिवर्तनों का भी पालन करूंगा/करंगे तथा प्रवृत्त अथवा समय-समय पर यथा संशोधित इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट 1948 तदन्तर्गत निमित्त नियमावली तथा इण्डियन इलेक्ट्रिक्सिटी ऐक्ट 1910 तथा इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956 आबद्ध हूँगा। निभा०  
सम्झौता०
7. मैं/हम अपनी लागत पर खम्भों (पोल्स) के संस्थापन (इन्स्टालेशन) के लिए आरेक्षित सीमेन्ट का व्यवस्था करने के लिये वचनबद्ध होते हैं। वचनबद्ध नहीं होता हूँ/वचनबद्ध नहीं होते हैं। निभा०  
सम्झौता०